

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 18/18

सरकार

बनाम

श्री : नरेश पुत्र निहालसिंह

जाति गुर्जर

निवासी भौपुर शाहपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 30-07-18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री नरेश पुत्र श्री निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी भौपुर शाहपुर तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि/ खरीफ मे ग्राम भौपुर शाहपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 870 रकबा 0.20 किस्म गै.म. शमशान भूमि से 0.02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से बाजरा कर अतिक्रमण किया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.32 का 50 गुना 16 रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है तथा इस पर खड़ी फसल बाजरा को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली तथा खड़ी फसल को नष्ट / नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 99 पर
वर्ष 2018 में पेनल्टी/फसल नीलामी
की जाति तहसीलदार महवा जिला दौसा

तहसीलदार
तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

116/1